भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1074
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

1074. **एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के अंतर्गत लंबित दत्तक ग्रहण मामलों का कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में दत्तक-ग्रहण के लिए औसत प्रतीक्षा समय का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में देरी के किसी कारण की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या दत्तक-ग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाने / गति प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या मंत्रालय का पारदर्शिता के लिए दत्तक ग्रहण एजेंसियों की निगरानी को मजबूत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कानूनी दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के अनुसार दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ कार्य करता है। देश में वर्तमान में दत्तक ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) से (ङ): दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 की अनुसूची-XIV में दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के संबंध में प्राधिकरणों और एजेंसियों के लिए समय-सीमा का उल्लेख है। किसी बच्चे का रेफरल और दत्तक ग्रहण, केयरिंग्स पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) द्वारा बच्चे की आयु, स्वास्थ्य और उसकी स्थिति के संबंध में दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। तथापि, ऑनलाइन रेफरल प्रणाली के कारण बच्चों को संस्थानों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जिससे बच्चों का दत्तक ग्रहण शीघ्रता से होता है।

सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) को अधिसूचित किया है, जो जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय और निगरानी करने का अधिकार देता है, जिसमें दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। इसके अलावा, कारा नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है, जिसमें साप्ताहिक वर्चुअल रिफ्रेशर कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए पूरे देश में उपलब्ध हैं।

****

अनुलग्नक

'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 25.07.2025 को पूछे जाने वाली लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान में दत्तक ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे बच्चों की संख्या

क्रं.सं.	राज्य	बच्चों की संख्या
1	अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्र प्रदेश	128
3	अरुणाचल प्रदेश	8
4	असम	36
5	बिहार	196
6	चंडीगढ़	13
7	छत्तीसगढ़	45
8	दिल्ली	176
9	गोवा	8
10	गुजरात	27
11	हरियाणा	76
12	हिमाचल प्रदेश	9
13	जम्मू और कश्मीर	8
14	झारखंड	41
15	कर्नाटक	106
16	केरल	45
17	लद्दाख	0
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	139
20	महाराष्ट्र	250
21	मणिपुर	7
22	मेघालय	8
23	मिजोरम	19
24	नागालैंड	4
25	ओडिशा	262

26	पुदुचेरी	3
27	पंजाब	112
28	राजस्थान	75
29	सिक्किम	12
30	तमिलनाडु	53
31	तेलंगाना	201
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1
33	त्रिपुरा	5
34	उत्तर प्रदेश	318
35	उत्तराखंड	23
36	पश्चिम बंगाल	352
	कुल	**2768**

*****